

FORM - III

फर्द अहकाम

(भाग 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरनिन्द सिंह बनाम परमवीर सिंह प्रादि

अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए नम्बर 212 मग 2024

जी सी एम एस नम्बर 2024/342

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स न न

नम्बर व प्राथम्य
प्रहकाम ती हुम
हुक्म की तारीख
में जारी हा

समस्त जारी

442

28/10/24

प्राथी गुरनिन्द सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख
निवासी 27 एच ए तहसील श्रीकरणपुर की ओर वादपत्र
अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज
रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब
किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.11.2024 को पेश हो।

गु 27.11.24
Sumant
इन्द्रजीत
परमवीर सिंह



ड. वि. सु. (राजस्व)

आज पत्र पत्रावली प्राथी द्वारा मिलल
पेशी का प्राथना पत्र पेश करले पर
पेशी में ली गई। वादी गुरनिन्द सिंह
व प्रतिवादीगण परमवीर सिंह, इन्द्रजीत
कीर गुरभीत सिंह, सुखदीप कीर के
द्वारा न्यायालय में स्वेय उपस्थित आकर
समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा
दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया।
दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा
सुन व समझकर सही होना स्वीकार
किया गया। समझौतानामा तस्दीक किया
जाकर शामिल मिलल किया गया।
विधि अलग से लिखवाया जाकर सुनाया
गया। पचा डिक्री इस आशय का
पारी हो। पचा डिक्री की एक प्रति गोर
KPR को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली
मिलति होकर बगवर से कम होकर
दाखिल करत हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

तारीख
हुक्म

28.10.2024

29/10/24

